

अध्याय - 7 | कंपनी नियन्त्रण

QUIZ PART-05

- पूँजी अभिदान की प्रक्रिया किस पर लागू होती है?
 - निजी कंपनी
 - सरकारी कंपनी
 - सार्वजनिक कंपनी
 - सहकारी संस्था

व्याख्या: सामग्री बताती है कि पूँजी अभिदान सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होता है जो जनता से अंश एवं ऋण-पत्रों के माध्यम से पूँजी जुटाती हैं।
- पूँजी अभिदान का पहला अनिवार्य कदम क्या है?
 - शेयरों का आवंटन
 - SEBI से अनुमति प्राप्त करना
 - बैंक खाता खोलना
 - व्यवसाय प्रारंभ करना

व्याख्या: फ़ाइल में स्पष्ट कहा गया है कि SEBI की अनुमति सबसे पहला अनिवार्य कदम है।
- प्रनिवेदन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
 - निदेशकों की नियुक्ति
 - जनता को अंश/प्रतिभूतियों में निवेश हेतु आमंत्रित करना
 - ऋण लेना
 - व्यवसाय प्रारंभ करना

व्याख्या: प्रनिवेदन पत्र का उद्देश्य जनता को निवेश के लिए आमंत्रित करना है।
- प्रनिवेदन पत्र किसके पास जमा करना अनिवार्य है?
 - बैंक
 - SEBI
 - रजिस्ट्रार
 - निदेशक मंडल

व्याख्या: फ़ाइल में बताया गया है कि प्रनिवेदन पत्र रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाता है।
- बैंकर पूँजी अभिदान प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाते हैं?
 - अंशों का विज्ञापन करते हैं
 - आवेदन राशि प्राप्त करते हैं
 - अंशों की कीमत तय करते हैं
 - कंपनी का लेखा तैयार करते हैं

व्याख्या: चित्र और पाठ दोनों में स्पष्ट है कि बैंकर आवेदन राशि प्राप्त करते हैं।

- SEBI के अनुसार न्यूनतम अभिदान कितना होना चाहिए?
 - 50%
 - 60%
 - 75%
 - 90%

व्याख्या: न्यूनतम अभिदान 90% होना अनिवार्य बताया गया है।
- यदि न्यूनतम अभिदान 90% से कम प्राप्त होता है तो क्या होगा?
 - आंशिक आवंटन होगा
 - दोबारा आवेदन लेना होगा
 - कोई आवंटन नहीं होगा और पूरी राशि लौटानी होगी
 - SEBI से अनुमति लेनी होगी

व्याख्या: सामग्री कहती है कि 90% से कम राशि आने पर आवंटन नहीं होता और पूरी राशि वापस करनी होती है।
- कंपनी की प्रतिभूतियों के व्यापार की अनुमति हेतु क्या आवश्यक है?
 - कम से कम दो बैंक खाते
 - कम से कम एक मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में आवेदन
 - कम से कम 100 निवेशक
 - निदेशक मंडल की बैठक

व्याख्या: फ़ाइल के अनुसार एक मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में आवेदन करना आवश्यक है।
- यदि शेयर बाजार से अनुमति एक सप्ताह के भीतर न मिले तो क्या होगा?
 - कंपनी स्वतः पंजीकृत हो जाएगी
 - आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा
 - सभी आवेदन राशि 8 दिनों के भीतर लौटाई जाएगी
 - केवल 50% राशि लौटाई जाएगी

व्याख्या: फ़ाइल में कहा गया है कि अनुमति न मिलने पर 8 दिनों में पूरी राशि लौटाना अनिवार्य है।
- आवंटन विवरणी कब जमा करनी होती है?
 - 10 दिनों के भीतर
 - 20 दिनों के भीतर
 - 30 दिनों के भीतर
 - 60 दिनों के भीतर

व्याख्या: निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आवंटन विवरणी 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को जमा करनी होती है।